राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–**pr.rajbhavan@gmail.com**
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य के विश्वविद्यालय यू.एम.आई.एस. लागू करें–राज्यपाल

पटना, 26 दिसम्बर 2018

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन ने बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में डिजिटाईजेशन/पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में आगामी शैक्षणिक सत्र में हर हालत में पूरा कर लेने का सख्त निदेश दिया है, ताकि उच्च शिक्षा की गतिविधियों में तकनीकी सुविधाएँ बढ़ सकें एवं क्रियाकलापों में पूर्ण पारदर्शिता भी समाहित हो सके।

इस क्रम में राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री टंडन ने अपने निदेश में कहा है कि University Management Information System (UMIS) का कार्यान्वयन आगामी शैक्षणिक सत्र में होना है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय कार्यकारी एजेन्सी के निर्धारण की प्रक्रिया आगामी 15 जनवरी, 2019 तक पूरी कर लें। जानकारी के अनुसार अधिकतर विश्वविद्यालयों ने निविदा–प्रकाशन की कार्रवाई पूरी करते हुए निर्धारित तिथि तक निविदा–निष्पादन का कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना दी है।

राज्यपाल श्री टंडन ने अपने निदेश में कहा है कि 'UMIS' के प्रथम चरण में 'Students Life Cycle' के विभिन्न घटकों से जुड़े सभी कार्यों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में ही प्रारंभ करा दिया जाये। ज्ञातव्य है कि 'Students Life Cycle' के प्रथम चरण में छात्रों के नामांकन/प्रवेश, निबन्धन, उपस्थिति, इन्टरनल इवेल्यूएशन तथा परीक्षा विषयक समस्त कार्य –जिनमें परीक्षा–फॉर्म भरने, परीक्षा–शुल्क की अदाएगी, केन्द्र निर्धारण, प्रवेश–पत्र वितरण से लेकर, परीक्षाफल प्रकाशन, अंक पत्र–वितरण, प्रमाण–पत्र एवं डिग्री–वितरण जैसे Pre Examination एवं Post Examination Tasks शामिल हैं –पूरे किये जाने हैं।

इस प्रकार, 'Students Life Cycle' के प्रथम चरण में ही राज्य के विश्वविद्यालयों के सभी विभागों एवं महाविद्यालयों में Registration/Admission, Examination, Result Processing एवं Certificate Generation से जुड़े सभी कार्यों का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि 'UMIS' के तहत 'Students Life Cycle' से जुड़ी इन गतिविधियों के कम्प्यूटरीकृत हो जाने के बाद छात्रों से जुड़े सभी कार्यों में तेजी आ जाएगी, छात्रों को सभी सुविधाएँ ऑन–लाईन उपलब्ध हो जाएँगी, कार्य–संपादन में पारदर्शिता बढ़ेगी एवं सभी कार्य 'अकादमिक कैलेण्डर' के अनुरूप निष्पादित होने लगेंगे। मालूम हो कि सभी विश्वविद्यालयों को इन कार्यों को विकेन्द्रीकृत रूप से संपादित करने के लिए पूर्व में ही अधिकृत किया जा चुका है और 'RPF' के अनुरूप 15 जनवरी, 2019 तक कार्यकारी एजेन्सियाँ चयनित करते हुए उन्हें कार्य सौंपने के लिए कहा गया है।

लगातार पृष्ठ....2 पर

राज्यपाल श्री टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों को कहा है कि अलग–अलग विश्वविद्यालयों में अलग–अलग कार्य–एजेन्सियाँ होने के बावजूद, गुणवत्ता में एकरूप उत्कृष्टता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों को अपनी एजेन्सियों के जरिये राजभवन एवं शिक्षा विभाग को 'Dashboard' की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी ताकि विश्वविद्यालयों के विभिन्न आँकड़ों एवं सूचनाओं की जानकारी सीधे भी इन दोनों जगहों पर प्राप्त की जा सके।

राज्यपाल ने 'UMIS' की इस व्यवस्था के तहत 'Human Resource Management System' के तहत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की पूरी प्रोफाईल, यथा –उनके सेवा–इतिहास, जिसमें नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, अवकाश–संधारण आदि से जुड़ी सभी बातें भी समाहित होंगी, का भी डिजिटाईजेशन करने को कहा है।

श्री टंडन ने 'UMIS' के आगामी चरणों में 'Payroll & Accounts Management System', 'Inventory Management' आदि गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण का भी निदेश दिया है, ताकि राज्य सरकार, यू॰जी॰सी॰, 'RUSA' 'NBA'आदि एजेन्सियों से प्राप्त विभिन्न आबंटनों एवं उनकी व्यय–स्थिति, उपयोगिता–प्रमाण–पत्र–प्रेषण, अंकेक्षण–प्रतिवेदन के अनुपालन तथा सेवांत लाभ आदि से जुड़े मामलों में भी पर्याप्त गति आ सके और लेखा–संधारण संबंधी समस्त कार्य भी ससमय निष्पादित हो सकें।

राज्यपाल श्री टंडन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विकसित करने के क्रम में पुस्तकालयों जुड़ी गतिविधियों को भी आधुनिकीकृत करने का निदेश दिया है। उन्होंने छात्रावास–नामांकन एवं प्रबंधन की पूरी व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने के साथ–साथ, पुस्तकालयों में पुस्तकों के संधारण एवं उनकी वितरण–व्यवस्था को भी कम्प्यूटरीकृत करने का निदेश दिया है। राज्यपाल ने शोध कार्यों से जुड़ी गतिविधियों, नैक–प्रत्ययन (Naac Accreditation) की तैयारी, 'लोक शिकायत कोषांग' के क्रियाकलापों तथा विद्यार्थियों के प्लेसमेंट आदि कार्यों के लिए भी 'UMIS' में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है।

राज्यपाल श्री टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों को कहा है कि कम्प्यूटरीकरण की इस पूरी प्रक्रिया में 'Database Ownership' (डाटाबेस का स्वत्वाधिकार/स्वामित्व) पर संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयों का ही हर हालत में होना चाहिए। साथ ही इस व्यवस्था में डाटाबेस का 'Periodical Backup' बैकअप सर्वर के साथ पूरी तरह सुरक्षित–संरक्षित होना चाहिए। राज्यपाल सचिवालय ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों एवं कार्यकारी एजेन्सियों के बीच 'UMIS' का एम॰ओ॰यू॰ हस्ताक्षरित होते समय दोनों के उत्तरदायित्वों को स्पष्टतया निर्धारित एवं पारिभाषित होना चाहिए।

राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 'UMIS' लागू हो जाने के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा कार्य–निष्पादन में तेजी आएगी तथा नियमानुकूलता, पारदर्शिता और तत्परता बढ़ेगी, जिससे उच्च शिक्षा की सुधार–प्रक्रिया को गति मिल पायेगी।

.....